भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †485
दिनांक 03.12.2025 को उत्तर देने के लिए

खनिज (नीलामी) नियम, 2015 में संशोधन

†485. श्री योगेन्द्र चांदोलियाः
श्री नारायण तातू राणेः
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैयाः
श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेलः
श्री मितेश रमेशभाई पटेलः
श्री दिनेशभाई मकवाणाः
श्री बियुत बरन महतोः
श्री चंदन चौहानः
डॉ. भोला सिंहः
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः
श्री खगेन मुर्मुः
डॉ. राजेश मिश्राः
श्री बंटी विवेक साहूः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) खदानों के तेजी से संचालन को बढ़ावा देने हेतु मध्यवर्ती समय-सीमा आरंभ करने के लिए खनिज (नीलामी) नियम, 2015 में हाल ही में किए गए संशोधनों के पीछे क्या औचित्य है तथा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित नीलाम/प्रस्तावित खनिज ब्लॉकों पर इन संशोधनों का क्या संभावित प्रभाव पड़ेगा;
(ख) संशोधित नियमों के अनुसार खनन पट्टों और समग्र लाइसेंस ब्लॉकों के लिए निर्धारित प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और संबंधित समय-सीमा क्या हैं तथा इस समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिए छिंदवाड़ा जिले में खनन क्षेत्रों के लिए क्या विशेष निगरानी तंत्र स्थापित किए गए हैं;
(ग) संशोधित नियमों के अन्तर्गत उत्पादन समय से पूर्व प्रारम्भ करने अथवा इसमें देरी करने पर लागू प्रोत्साहनों और शास्तियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त सुधारों से नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों के समय पर परिचालन, खनिज उत्पादन में वृद्धि तथा स्थानीय रोजगार और विशेषकर छिंदवाड़ा जिले में औद्योगिक विकास पर क्या अपेक्षित प्रभाव पड़ेगा;

(ङ) क्या सिंगरौली अथवा सीधी जिले में कोई नये कोयला ब्लॉक आवंटित किये गये हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या केंद्र सरकार का उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को लघु खनिज ब्लॉकों, जो बुलंदशहर जैसे जिलों को निर्माण कच्चा माल आपूर्ति करते हैं, को शुरू करने में सहायता करने के लिए तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): खान मंत्रालय ने दिनांक 17.10.2025 से खनिज (नीलामी) नियम, 2015 में संशोधन किया है, जिसके तहत नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों के शीघ्र प्रचालन हेतु नियमों में मध्यवर्ती समय-सीमाएं तय की गई हैं। ये समय-सीमाएं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित ब्लॉकों सहित नीलाम किए गए सभी ब्लॉकों पर लागू होती हैं।

(ख): संशोधित नियमों के अनुसार, खनन पट्टों और समेकित अनुज्ञप्ति ब्लॉकों के लिए निर्धारित माइलस्टोन और संबंधित समय-सीमाएं अनुलग्नक-I में दी गई हैं।

संशोधित नियमों के अनुसार, अधिमानित बोलीदाता को सुनवाई का समुचित अवसर देने के बाद यह तय करने के लिए कि विलंब या नियमों के गैर-अनुपालन की वजह वह है या नहीं, राज्य सरकारों से निदेशक, खान और भूविज्ञान निदेशालय, राज्य सरकार (जिस भी नाम से जाना जाए) की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया जाना अपेक्षित है, जिसमें भारतीय खान ब्यूरो तथा राजस्व विभाग, वन विभाग, पर्यावरण विभाग और राज्य सरकार के ऐसे अन्य संबंधित विभाग के सदस्य शामिल हों। यह तंत्र मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित ब्लॉकों सहित नीलाम किए गए सभी ब्लॉकों पर लागू होता है।

(ग): नियमों में ऊपर दी गई समय-सीमा के बाद प्रत्येक माह या माह के किसी भाग में देरी (जो बोलीदाता के कारण हो) के लिए कार्य-निष्पादन प्रतिभूति का 1% समायोजित करने का प्रावधान है। नियमों में यह भी प्रावधान है कि यदि अंतिम लक्ष्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त हो जाता है, तो समायोजित की गई राशि, यदि कोई हो, देय नीलामी प्रीमियम के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, नियमों में यह भी प्रावधान है कि यदि राज्य

सरकार निर्धारित समय-सीमा के बाद अधिमानित बोलीदाता को आशय पत्र जारी करने में देरी करती है, तो अग्रिम भुगतान की दूसरी किस्त में प्रत्येक माह या माह के भाग की देरी के लिए 5% की कमी की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, नीलाम की गई खानों में शीघ्र उत्पादन शुरू करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। पट्टेदार को खनन पट्टा प्रदान करने के लिए आशय पत्र जारी होने की तारीख से पांच वर्ष के भीतर या समेकित अनुज्ञप्ति देने के लिए आशय पत्र जारी होने की तारीख से सात वर्ष के भीतर, उत्पादित खनिज के लिए नीलामी प्रीमियम का केवल 50% भुगतान करना होगा।

(घ): मध्यवर्ती समय-सीमाएं आशय पत्र जारी करने से लेकर खनन पट्टे के निष्पादन तक विभिन्न चरणों में नीलाम की गई खानों के संचालन की प्रगति की निगरानी के लिए एक तंत्र प्रदान करती हैं। इन समय-सीमाओं का उद्देश्य खानों का शीघ्र प्रचालन सुनिश्चित करना है, जिससे खनिज उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा छिंदवाड़ा जिले सहित स्थानीय रोजगार बढ़ेगा और औद्योगिक विकास होगा।

(ङ) और (च): कोयला मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, जून, 2020 से वाणिज्यिक नीलामी के तहत सिंगरौली जिले में कुल नौ कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। इन ब्लॉकों का ब्यौरा अनुलग्नक **II** में दिया गया है।

(छ): खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 15 के अनुसार, राज्य सरकारों को गौण खनिजों के संबंध में खान पट्टों, खनन पट्टों या अन्य खनिज रियायतें प्रदान करने और उनसे संबंधित प्रयोजनों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार है। गौण खनिजों के संपूर्ण प्रशासन और विनियमन का जिम्मा राज्य सरकारों का है।

*****

अनुलग्नक-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 485 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित

खनन पट्टे के लिए:

क्र. सं.	माइलस्टोन	समय-सीमा
1	खनन योजना का अनुमोदन	खनन पट्टे के लिए आशय पत्र जारी होने की तारीख से 6 माह के भीतर
2	पर्यावरण मंजूरी प्रदान करना	माइलस्टोन-1 के पूरा होने से 18 माह के भीतर
3	खनन पट्टे का निष्पादन	माइलस्टोन-2 के पूरा होने से 12 माह के भीतर

समेकित अनुज्ञप्ति के लिए:

क्र. सं.	माइलस्टोन	समय-सीमा
1	समेकित अनुज्ञप्ति का निष्पादन	समेकित अनुज्ञप्ति के लिए आशय पत्र से 12 माह के भीतर
2	खनिज (खनिज अंतर्वस्तु के साक्ष्य) नियम, 2015 के अनुसार, पूरे अनुज्ञप्त क्षेत्र में पूर्वेक्षण के कम से कम जी2 स्तर के कार्य को पूरा करना तथा भारतीय खान ब्यूरो और राज्य सरकार को पूर्वेक्षण संक्रियाओं की रिपोर्ट प्रस्तुत करना।	माइलस्टोन-1 के पूरा होने से 36 माह के भीतर
3	खनन योजना का अनुमोदन	खनन पट्टे के लिए आशय पत्र जारी होने की तारीख से 6 माह के भीतर
4	पर्यावरण मंजूरी प्रदान करना	माइलस्टोन-3 के पूरा होने से 18 माह के भीतर
5	खनन पट्टे का निष्पादन	माइलस्टोन-4 के पूरा होने से 12 माह के भीतर

अनुलग्नक-II

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 485 के भाग (ङ) और (च) के उत्तर में संदर्भित

क्र. सं.	खान	सफल बोलीदाता	सीएमएसपी अधिनियम/ एमएमडीआर अधिनियम	आवंटन की तारीख
1	धिरौली	स्ट्रैटाटेक मिनरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड	एमएमडीआर अधिनियम	03.03.2021
2	बांधा	ईएमआईएल माइंस एंड मिनरल	एमएमडीआर अधिनियम	03.03.2021
3	गोंडभेरा उझेनी ईस्ट	एमपी नेचुरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड	एमएमडीआर अधिनियम	10.10.2022
4	बांधा नॉर्थ	जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड	एमएमडीआर अधिनियम	12.12.2022
5	मरकी बरका	बिड़ला कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सीएमएसपी अधिनियम	17.01.2023
6	गोंडभेरा उझेनी	एमपी नेचुरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड	एमएमडीआर अधिनियम	08.06.2023
7	मारा II महान	महान एनर्जीन लिमिटेड	सीएमएसपी अधिनियम	01.08.2024
8	महान	जेके सीमेंट लिमिटेड	सीएमएसपी अधिनियम	18.12.2024
9	सराय ईस्ट (दक्षिण)	एसीसी लिमिटेड	एमएमडीआर अधिनियम	04.02.2025